"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद् भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.".

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2003—श्रावण 31, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जुलाई 2003, जिसके द्वारा सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से (2001) को सहायक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001) को सहायक कलेक्टर, बिलासपुर, पदस्थ किया जाता है. वे कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के प्रभार में भी रहेगी.

3. सुश्री शहला निगार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 25-7-2003 को कार्यमुक्त होगी तथा कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेगी.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्र. ई-1-5/2003/एक/2.—राज्य शासन श्री उजागर सिंह, भा.प्र.से. (के. एल. 1981) आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड को आगामी आदेश पर्यन्त पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2003

संशोधन आदेश

क्रमांक 5006/21-ब/छग/03.—इस विभाग के आदेश क्र. 1686/21-ब/छग/03, दिनांक 28-2-2003 एवं आदेश क्र. 2534/डी-823/21-ब/छग/03, दिनांक 31-3-2003 में टंकण त्रुटिवश रुपये 12000/, प्रतिमाह पारिश्रमिक के स्थान पर रुपये 17000/- अंकित हो गया है, जिसे रुपये 12000/- पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक डी/4997/1609/21-ब/छग/2003.—छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) के अध्याय-तीन की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिनियमे के प्रयोजन हेतु दिनांक 11-6-2003 से निम्नानुसार छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि समिति का गठन करती है :—

अ-पदेन सदस्य

(एक)	माननीय विधि मंत्री	-	अध्यक्ष
(दो)	माननीय राज्य विधि मंत्री	-	उपाध्यक्ष
(तीन)	अध्यक्ष बार कौंसिल	-	उपाध्यक्ष
(चार)	महाधिवक्ता छत्तीसगढ़	-	उपाध्यक्ष
(पांच)	सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग.	-	सचिव
(छ:)	सचिव बार कौंसिल	-	संयुक्त सचिव (मताधिकार के बिना)
(सात)	कोषाध्यक्ष बार कौंसिल		कोषाध्यक्ष
(आठ)	जनरल मैनेजर स्टेट बैंक आफ इंडिया या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो रीजनल मैनेजर के स्तर से कम का न हो.		
(नौ)	डिवीजनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति जो उप डिवीजनल मैनेजर के स्तर से कम का न हो.		
(दस)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.		

Raipur, the 1st August 2003

No. D/4997/1609/21-B/C.G./2003.—In exercise of the powers conferred by Chapter-III, Section-4 of the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982) the State Government hereby constitutes for the purposes of this Act Chhattisgarh Advocate Welfare Fund Committee from 11-6-2003 as follows :—

A-EX-OFFICIO MEMBERS

(i) The Minister-in-charge of Law-Chairman;
(ii) The Minister of State-in-charge of law-Vice-Chairman;
(iii) The Chairman, Bar Council-Vice-Chairman;
(iv) The Advocate General, Chhattisgarh-Vice-Chairman;
(v) The Secretary to the Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department-Secretary;
(vi) Secretary, Bar Council-Joint Secretary (having no voting right);
(vii) Treasurer, Bar Council-Treasurer;
(viii) The General Manager of the Local Head Office of the State Bank of India or his nominee not below the rank of Regional Manager;
(ix) The Divisional Manager of the Life Insurance Corporation of India, Indore or his nominee not below the rank of Deputy Divisional Manager;
(x) The Secretary to the Government of Chhattisgarh, Finance Department.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2003

विषय : सेवाएं समाप्त किये जाने के संबंध में.
संदर्भ : इस विभाग का आदेश क्र. 2534/डी-823/21-ब/छग/03, दिनांक 31-3-03स

क्रमांक 5019/डी-1979/21-ब/छग/03.—इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश के संबंध में यह उल्लेख है कि मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रकरणों में पैरवी हेतु आपकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण आपकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक एफ 1-67/खाद्य/2003/29.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्र. 10 सन् 1955) की धारा 3, सहपठित, भारत सरकार, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति सम्भरण, मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्रमांक एस. ओ. 681 (ई) दिनांक 30-11-1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में खण्ड 16 में शब्द "आयुक्त तथा अतिरिक्त आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किया जाए तथा खण्ड 17 का लोप किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्र. एफ 1-67/खाद्य/2003/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 मई, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 8th May 2003

No. F 1-67/Food/2003/29.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operative) S. O. 681 (E) dated 30-11-1974, the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (Licensing and Restriction) Order 1980, namely :—

AMENDMENTS

In the said order, in clause 16 in place of the words "Commissioner and Additional Commissioners" the word "State Government" shall be substituted and clause 17 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक 1616/1360/32/02.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा कुरूद निवेश क्षेत्र का गठन करती है. जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

कुरूद (जिला-धमतरी) निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में. -	ग्राम -	कुहकुहा, गोथली एवं भांटागांव की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में -	ग्राम -	भांटागांव, राखी कन्हारपुरी चर्रा की पश्चिम सीमा तक.
दक्षिण में -	ग्राम -	कन्हारपुरी चर्रा एवं उमरदा की दक्षिण सीमा तक.
पूर्व में -	ग्राम -	उमरदा, नवागांव, गरदा एवं कुहकुहा की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-7-48/दो (तीन-जेल) 2002.—कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. 9 सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 78 के शब्द "संभागों के आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "जेल महानिरीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाए.
2. नियम 112 में शब्द "संभाग के आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जेल महानिरीक्षक" तथा कालम सं. (1) आयुक्त का नोट के स्थान पर शब्द "जेल महानिरीक्षक" का नोट प्रतिस्थापित किया जाए.
3. नियम 814 के उपनियम (1) तथा (2) में शब्द "संभागों के आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "जेल महानिरीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाए.
4. नियम 815 में शब्द "संभागों के आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "जेल महानिरीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 5th August 2003

No. F-7-48/Two (three-jail)2002.—In exercise of the powers conferred by the Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Rules 78 in place of the words "Commissioners of Divisions" the words "Inspector General of Prisons" shall be substituted.
2. In Rules 112 in the place of the words "Commissioner of the Division" the words "Inspector General of Prisons" and column No. (1) Commissioners Note the words" Note of Inspector General of Prisons" shall be substituted.
3. In sub-rules (1) and (2) of Rules -814 in place of the words "Commissioners of Divisions" the words "Inspector General of Prisons" shall be substituted.
4. In Rules 815 in place of words "Commissioners of Divisions" the words "Inspector General of Prisons" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 8-1/2003/11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा (पश्चिम) के बायलर क्र. एम.पी./3555 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 11-7-2003 से दिनांक 10-9-2003 तक के लिये 02 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम कि धारा 12 एवं 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छ. ग. के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उनका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 30th July 2003

No. 1927/1135/2003/11/ C & I.—In view of wide implications of W.T.O. regims in International Trade in Goods & Services, it has been decided to open a W.T.O. Cell in the Department of Commerce & Industry, Government of Chhattisgarh to interact with Government of India on W.T.O. matters on regular basis.

Shri S. K. Gupta, working as Officer on Special Duty in the Department of Commerce & Industry, Government of Chhattisgarh, will act as a Nodal Officer of the W.T.O. Cell.

This order supersedes the previous order No. 1729-1732/1135/2003/11/वा.उ./ dated 14th July, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattigarh,
G. R. MALVIYA, Under Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक बी. आई. डब्ल्यू., भिलाई द्वारा वर्ष 92 से 94 में काम से वंचित 07 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स यूनिट नं. 01, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा वर्ष 89 से 93 में काम से वंचित 24 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक नागपुर इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भिलाई द्वारा वर्ष 1990 में काम से वंचित 68 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक भिलाई वायर्स लिमिटेड, भिलाई, जि. दुर्ग द्वारा वर्ष 91 से 93 में काम से वंचित 03 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक बी. के. कास्टिंग लिमिटेड, भिलाई, जि. दुर्ग द्वारा वर्ष 91 से 93 में काम से वंचित 38 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

बी. के. कास्टिंग लिमि., भिलाई-दुर्ग

कार्य से वंचित श्रमिकों की सूची

क्रमांक	श्रमिकों का नाम	पिता का नाम	भर्ती तिथि	काम से वंचित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीराम साहू	खेमसिंह साहू	1-1-81	3-4-93
2.	तारण प्रसाद	बिसौहा राम साहू.	17-3-82	3-4-93
3.	देवेन्द्र चौहान	बाबूलाल चौहान.	3-8-89	4-4-93
4.	सी. एच. विश्वनाथ.	सी. एच. कूर्मय्या.	2-4-89	4-7-92
5.	भागीरथी यादव.	झंगलू यादव	15-4-91	4-4-93
6.	खेमलाल साहू	केजूराम साहू	15-6-90	4-7-92
7.	अशोक कुमार	जागेश्वर	6-8-90	7-1-92
8.	जयंत कुमार	दशरथ राम	17-1-90	20-11-91
9.	लोमन कुमार उमरे.	सत्यदेव उमरे	7-6-83	7-2-92
10.	जी. धनराजु	जी. लक्ष्मण राव.	18-12-83	3-4-93
11.	पुरनलाल साहू	कार्तिकराम साहू.	12-4-88	7-2-92
12.	के. कामेश्वर राव.	के. अपन्ना	5-8-86	3-4-93
13.	आनंदी पटेल	केजूराम पटेल	3-11-88	4-4-93
14.	टी. सोमनाथ	टी.गौरेया	12-7-88	14-8-92
15.	हीरऊराम विश्वकर्मा.	भैय्याराम विश्वकर्मा.	1982	29-4-92
16.	दानसिंह वर्मा	समारूराम वर्मा	1987	18-12-94
17.	अब्राहम	पी.पी. अब्राहम	1982	2-7-92
18.	नंदकुमार साहू	रामाधीन साहू	1982	3-4-92
19.	भूखनराम जंघेल	परदेशीराम जंघेल.	22-11-83	26-4-92
20.	के. ताताराव	के. अप्पन्ना	14-2-84	3-4-93
21.	पी. दुर्गाराव	पी. अप्पन्ना	1988	3-4-93
22.	चित्रसेन वर्मा	रामाधार वर्मा	16-2-89	12-8-92
23.	मनहरण लाल यादव.	भगेलाराम यादव.	1983	27-4-92
24.	संतोष कुमार साहू.	हीरामन साहू	14-8-89	17-11-92
25.	सुशान्त कुमार शाह.	मालाचंद शाह	1990	1-1-92
26.	संजय कुमार	नागेश्वर	1990	4-5-92
27.	बिन्देश्वरी दुबे	रामशरण दुबे	17-6-90	4-1-92
28.	शकील अहमद	एस. एल. शरीफ.	17-6-89	11-3-91
29.	श्रवण कुमार साहू.	सुखराम साहू.	17-6-89	5-6-91
30.	डामरसिंह वर्मा	प्रेमलाल वर्मा	1986	27-6-92
31.	सीताराम	भोजूराम	3-3-89	9-3-91
32.	शिवकुमार साहू	खेमसिंह साहू	3-3-89	4-3-91
33.	सुखलाल साहू	बोधनसिंह साहू.	3-3-89	4-3-91
34.	चन्द्रकांत वर्मा	पीलाराम वर्मा	3-6-89	18-7-93
35.	मोहम्मद आरीफ	मोहम्मद युसूफ	1985	18-7-93
36.	अशोक निषाद	लखनलाल निषाद.	26-5-85	18-7-93
37.	भागीरथी साहू	खेमसिंह साहू	15-6-90	15-9-93
38.	निशानसिंह	सूरजसिंह	12-6-90	14-7-92

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउण्ड्री यूनिट नं. 3, टेड़ेसरा, राजनांदगांव द्वारा वर्ष 1990 में काम से वंचित 10 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक जनरल फेब्रीकेटर्स, भिलाई, जि. दुर्ग द्वारा वर्ष 89 से 92 में काम से वंचित 61 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउण्ड्री वर्क्स यूनिट नं. 2, भिलाई द्वारा वर्ष 85 एवं 89 में काम से वंचित 05 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक F 9-10/16/03.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड यूनिट नं. 1, भिलाई द्वारा वर्ष 90-91 में काम से वंचित 10 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अन्तरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांकएफ-4-31/16/03.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा को उक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों से दिनांक 1-3-2003 से दिनांक 29-2-2004 तक एक वर्ष के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि यह वर्तमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर गिरने नहीं देगा वरन उन्नयन करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-117/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "डॉ. जाकिर हुसैन नेशनल यूनिवर्सिटी" के नाम से जाना जायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "डॉ. जाकिर हुसैन नेशनल यूनिवर्सिटी" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 6th August 2003

No. F-73-117/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for the extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Dr. ZAKIR HUSAIN NATIONAL UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "Dr. ZAKIR HUSAIN NATIONAL UNIVERSITY " to conduct the syllabus and to grant degrees or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-116/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी" के नाम से जाना जायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 6th August 2003

No. F-73-116/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for the extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "THE GLOBAL UNIVERSITY, " with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "THE GLOBAL UNIVERSITY " to conduct the syllabus and to grant degrees or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 अगस्त 2003

क्रमांक 6773/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	घोटिया प.ह.नं. 63.	7.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घोटिया पिकअप वियर बांध पार एवं नहर में अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अगस्त 2003

क्रमांक 6774/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	धिकुड़िया प.ह.नं. 63/2	0.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	घोटिया पिकअप वियर के नहर में अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 1224/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	दारगांव प.ह.नं. 31	0.47	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग.	शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जून 2003

क्रमांक 1228/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पेन्ड्री प.ह.नं. 5	0.30	अनुविभागीय अधिकारी लो. नि. वि. सेतु निर्माण उप संभाग, रायपुर	शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 2394/472/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	सिंवार प.ह.नं. 7	0.60	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण), रायपुर.	शिवनाथ नदी के सिंवारघाट पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक 2395/473/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बावनलाख प.ह.नं. 16	0.95	कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. (सेतु निर्माण), रायपुर.	शिवनाथ नदी पर पुल एवं मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 जुलाई 2003

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	ताला प.ह.नं. 33	0.23	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा.	ताला पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 जुलाई 2003

क्रमांक 6/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	ढनढनी प.ह.नं. 12	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	भदौरा व्यपवर्तन अंतर्गत नहर नाली.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 जुलाई 2003

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	नवागढ़	2.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	छेरकापुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 जुलाई 2003

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	कामता	0.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	कामता जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	फरदडीह प.ह.नं. 20	16.45	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंग/उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	कोचेरा प.ह.नं. 21	22.20	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मुडखुसरा प.ह.नं. 20	5.74	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	रायपुरा प.ह.नं. 24	1.50	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू. अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू. अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	पापरा प.ह.नं. 20	2.65	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू. अर्जन/2002.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू. अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	रायपुरा प.ह.नं. 24	4.22	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे/उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	रायपुरा प.ह.नं. 24	2.66	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	नारगी प.ह.नं. 23	2.21	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बिजोरा प.ह.नं. 23	6.23	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	खडेनाडीह प.ह.नं. 23	2.07	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	डारागांव प.ह.नं. 23	2.36	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1199/भू अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बडगांव प.ह.नं. 23	11.61	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा जिला दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 505/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	तेन्दुभाठा प.ह.नं. 24	1.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	तेन्दुभाठा माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 506/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 65-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	बरगांव प.ह.नं. 24	0.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बरगांव सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 507/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	सोनपुरी प.ह.नं. 21	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बरगांव सब माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 508/प्र. 1/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	खपरी प.ह.नं. 16	0.15	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) रायपुर.	साजा खम्हरिया मार्ग पर खपरी. नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 509/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	कांचरी प.ह.नं. 24	1.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 510/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	हरडुवा प.ह.नं. 26	0.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	अकलवारा माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 511/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	अकलवारा प.ह.नं. 26	1.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	अकलवारा माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 513/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मोहगांव प.ह.नं. 24	0.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 514/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	तेन्दुभाठा प.ह.नं. 24	0.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 515/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	कांचरी प.ह.नं. 24	1.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भोजेपारा सब माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 516/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	कुटरू प.ह.नं. 21	0.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	कुटरू सब माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 518/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मौहाभाठा प.ह.नं. 24	1.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	तेन्दुभाठा माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 519/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	भोजेपारा प.ह.नं. 24	0.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भोजेपारा माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1103/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	मोंहदीपाट	4.90	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, संभाग दुर्ग (छ. ग.).	बघेली माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1104/ले. पा./भू. अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	गब्दी	1.55	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग दुर्ग (छ. ग.).	गब्दी माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1105/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	मटेवा	10.71	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट संभाग दुर्ग (छ. ग.).	मटेवा डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1106/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	माहुद	9.03	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	मटेवा डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग), देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक 1107/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	बघेली	11.96	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	बघेली माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक 1109/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	बघेली	25.21	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	बघेली जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक 1110/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	खुरसुनी	1.11	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन दुर्ग (छ. ग.).	बघेली जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 263/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	अड़बंधा प. ह. नं. 9	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बोहारडीह माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 13/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	करही	1.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	करही जलाशय के नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 19/अ-82/भू-अर्जन/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	फरी प.ह.नं. 28	5.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी व्यपवर्तन मुख्य नहर. निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय मे देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 20/अ-82/भू-अर्जन/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	ओटेबंद प. ह. नं. 26	1.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 21/अ-82/भू-अर्जन/2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अभिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	खिलोरा प.ह.नं. 28	4.66	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 22/अ 82/भू अर्जन/2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अभिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	खिलोरा प. ह. नं. 28	0.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी व्यपवर्तन तिलईकुड़ा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 23/अ 82/भू-अर्जन/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	तिलईकुड़ा प.ह.नं. 28	1.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी व्यपवर्तन तिलईकुड़ा माइनर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 24/अ-82/भू-अर्जन/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	अमोरा प. ह. नं. 32	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हथमुड़ी व्यपवर्तन अमोरा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक 1123/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	कसही	2.05	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	कसही जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक 4954/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बासनपुर	2.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	बासनपुर व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2003.

क्रमांक 4956/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	भोगाम	4.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	भोगाम सिंचाई उद्वहन योजना.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक 4960/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कतियाररास	2.34	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), बीजापुर.	दन्तेवाड़ा से फरसपाल (पाण्डेमुर्गा) पहुंचमार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक क/भू अर्जन/1223.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	दुरपा प. ह. नं. 16	0.105	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दुरपा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पिकरीमाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	42/1	0.174
योग	1	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता-किंकामणी व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला- रायगढ़

(ख) तहसील सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम चांटीपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/4	0.146
योग 1	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- कटंगी जलाशय के नहर निर्माण में भू अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला- रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम अमलीभौना, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.267.हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276/1	0.535
276/4	1.879
278/1	0.210
283/6	0.040
283/8	0.231
283/10	0.081
283/12	0.361
278/2	0.154
283/5	0.081
283/1	0.040
283/3	0.057
283/7	0.231
283/9	0.081
283/11	0.362
278/3	0.081
278/4	0.210
279	0.850
280	0.340
284	0.206
283/2	0.125
283/4	0.077
282/2	0.809
282/3	0.241
282/4	0.649
277	0.336
योग 25	8.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ट्रांसपोर्ट नगर के स्थापना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायगढ़
(ख) तहसील- सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम- हरदी, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.448 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159/14	0.306
164	0.142
योग 2	0.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है -हरदी हवाई पट्टी वर्ष 1965 -66 हेतु भू- अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2002 2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
(क) जिला रायगढ़
(ख) तहसील सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जिल्दी, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.049 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331/1 ख	0.018
332/2	0.031
योग 2	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-हरदी हवाई पट्टी भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बोरे तथा कोसमडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.276 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-बोरे	
379/2	0.176
ग्राम-कोसमडीह	
261/12	0.100
योग 2	0.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-किंकामणी व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ 82/2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला रायगढ़
- (ख) तहसील सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम चांटीपाली, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.625 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/3 क	0.032
41/3	0.049
59	0.089
42	0.093
58/2	0.028
69/3	0.073
41/2	0.048
17/1 क	0.069
17/1 ख	0.105
17/1 घ, 17/1 ङ	0.032
54/2	0.007
योग 11	0.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है करंगी जलाशय के नहर निर्माण में भू अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चांटीपाली, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/2	0.081
योग 1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है करंगी जलाशय के नहर निर्माण में भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक/क/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक, सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :
- (क) जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम नयाबाराद्वार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.837 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
776/1	0.028
778	0.032
777	0.036
780/1	0.141
780/2	0.040
780/3	0.024
783	0.020
781	0.307
784	0.012
785/1	0.040
786/1	0.016
787	0.016
782/1	0.012
782/2	0.012
911	0.101
योग	0.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधि. (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3-अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जगन्नाथपुर, प. ह. नं. 66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.84 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	846/2	0.26
	835/1	0.42
	833/2	0.16
योग	3	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-परशुरामपुर जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

रा. प्र. क्र. 1 अ/82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम कोरिया, प.ह.नं. 42,
हर्रा टिकरा, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62+0.13-0.75 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	ग्राम कोरिया	
	194	0.04
	195	0.04
	199	0.04
	198	0.07
	197	0.04
	202	0.24
	209	0.02
	196	0.05
	201	0.08
योग	9	0.62
	ग्राम हर्रा टिकरा	
	1007	0.01
	1008	0.12
योग	2	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भुनभुट्टा सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

रा. प्र. क्र./7/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-नौगई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	231/5	0.004
	231/6	0.040
योग	2	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के महुआटिकरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जनवरी 2003

रा. प्र. क्र./14/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रविन्द्रनगर एवं तेलई कछार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.350 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-रविन्द्र नगर	
477/2	0.020
478/2	0.110
480	0.070
478/1	0.010
ग्राम-तेलई कछार	
136	0.030
289	0.020
137	0.010
139	0.030
140	0.020
290	0.010
288	0.020
योग	0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अंबिकापुर से विश्रामपुर रेल लाइन के विस्तार हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

भू. प्र. क्र./30/अ 82/2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि [illegible]

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोहगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.925 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
553/40	2.023
1035/6	1.902
योग	3.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./01/अ-82/वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील [illegible]
- (ग) नगर/ग्राम [illegible] 73
- [illegible]

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1193/2	0.24
1197/1	0.26
1196/6	0.15
1196/2, 1188/2	0.19
1188/1	1.86
1169/1, 2, 3, 4	0.93
1186/6	0.08
1106/3	0.13
1186/1	0.08
1186/5	0.32
1183/1, 1182/1	0.12
1128/2	0.03
1129	0.31
1162/1	0.06
1162/4	0.07
1163	0.09
1162/3	0.14
1164	0.03
1198	0.27
1196/5	0.28
1186/2	0.01
1183/2, 1182/2	0.21
1176	0.02
1162/2	0.06
1171/2	0.11
1170	0.04
योग	6.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है नवागांव पोषक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/15/अ-82/वर्ष 2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-धनहा भर्री
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.48 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20/1	0.15
20/2	0.15
22	0.03
23	0.31
19/2	0.04
34	0.20
35	0.18
36	0.18
32	0.02
37/2	0.16
37/3	0.14
38	0.10
110	0.45
108	0.29
109	0.02
107	0.22
113/2	0.15
106	0.26
105	0.11
114/1	0.10
115	0.11
122	0.09
234/1	0.02
योग 23	3.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर के शाखा नहर के क्रमांक 6 (2) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.